WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JANUARY 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

HAPPY NEW YEAR 2024

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- इनकम टैक्स धारा 43B(h) के संबंध में जानकारी
- आवेदन में सुधार के लिए नया फॉर्म
- छोटे कारोबारियों को जीएसटी फॉर्म से छूट
- सरकार सभी व्यवसायों में ई- बिल अनिवार्य करेगी
- जीएसटी नोटिस पर 31 जनवरी तक अपील
- तीन वित्तीय वर्ष के अटके पड़े आयकर रिटर्न होंगे प्रोसेस
- दाखिल आयकर रिटर्न को ख़ारिज कर सकेंगे
- बैंकों के माध्यम से भी जमा होंगे बिजली बिल
- बिल्डरों पर और कसा शिकंजा, अब हर प्रोजेक्ट के लिए तीन खाते खोलना होगा
- नियमों में ढील देने के मूड में नहीं आरबीआइ
- लिफ्ट के लिए प्रदेश में लागू होगा कानून: योगी
- मेरठ समेत 11 जिलों में मिलेंगे डाकघरों से ई स्टांप
- उधमियों को जेल भेजने वाले 577 नियम ख़त्म, पेनाल्टी में तब्दील
- अग्निशमन से जुड़ी लापरवाही पर लग सकेगा 20 हजार तक जुर्माना
- एनपीएस में क्यूआर कोड से भुगतान सुविधा शुरू
- अवैध निर्माण रोकने की नई तकनीक शुरू
- सुविधा: इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेंगे 41,575 फ्लैट, विकसित होगा फ्लैटेड फैक्टरी का कल्चर
- The ministry has also made its ZED scheme, which aims to promote manufacturing without any negative impact on the environment, completely free for women-led MSMEs.
- RoDTEP benefits to be extended to e-commerce exports: Piyush Goyal
- All payments via e-commerce operator subject to 1% TDS: CBDT
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

इनकम टैक्स धारा 43B(h) के संबंध में जानकारी |

माइक्रो और स्माल एंटरप्राइज को पेमेंट के बारे मे नियम

(यह नियम वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागु हो चूका है।)

1. माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइज क्या है?

TYPE	INVESTMENT IN PLANT AND MACHINERY	TURNOVER/ SALES
माइक्रो एंटरप्राइज	1 करोड़ से कम	5 करोड़ से कम
स्माल एंटरप्राइज	10 करोड़ से कम	50 करोड़ से कम

2. माइक्रो और स्माल एंटरप्राइज को पेमेंट कब तक देना है ?

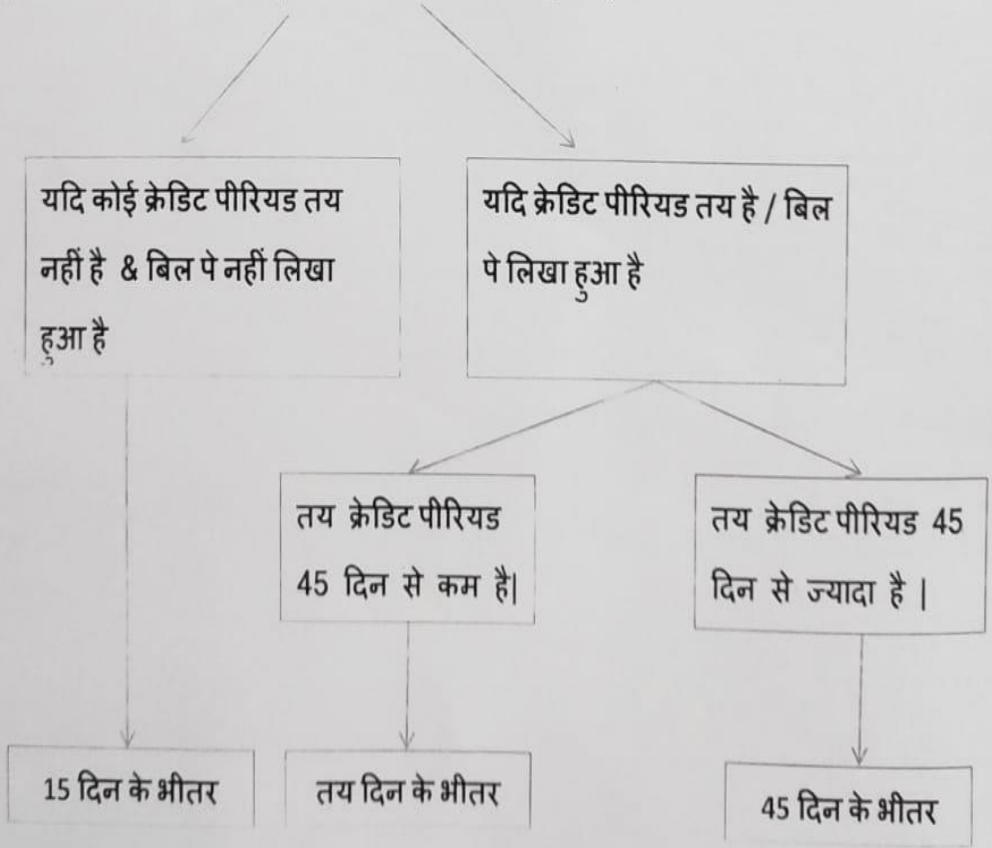

3. क्या होगा यदि ऊपर दिए हुए समय के भीतर पेमेंट नहीं किया गया ?

- यदि पेमेंट Due Date निकल गयी परन्तु पेमेंट 31/03/2024 से पहले कर दिया तो भी उस बिल का खर्चा Deduction मिल जाएगा।
- यदि पेमेंट Due Date निकल गयी परन्तु पेमेंट 31/03/2024 के बाद कर दिया तो भी उस बिल का खर्चा Deduction वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं मिलेगा। (अर्थात वह purchase/Expenses आपके इस वर्ष के profit में Add हो जाएँगी जिससे इस वर्ष में हैवी इनकम टैक्स भरना पड सकता है। उस purchase / Expenses का जब payment होगा उस वर्ष में Deduction मिलेगा।)

4. इस नियम का पालन कैसे करें ?

- 31/03/2024 को outstanding पेमेंट तय दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।
- सभी Purchase पार्टी के साथ 45 दिन के क्रेडिट पीरियड का लिखित कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिये।
- अपनी आपस की फर्म (Sister Concern) को पेमेंट देने में भी यह नियम लागु होंगे तो कृपया Sister Concern को भी समय पे पेमेंट दे।
- यह Rule तब भी लागु होंगा जब Purchaser ने MSME Act के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो।
- अपनी सभी PURCHASE PARTIES से WRITTEN CONFIRMATION ले की वह MICRO & SMALL ENTERPRISE में FALL करती है या नहीं।
- आपको अपने SALE INVOICE पर UDHYAM REGISTRATION NUMBER AND CATEGORY PRINT करना चाहिए जिससे सभी आपको समय पे पेमेंट दे।
- इसमें सभी तरह की Purchase - Grey, Finish, Yarn, Packing Material, Job Work, Expenses, Etc शामिल है ।

आवेदन में सुधार के लिए नया फॉर्म

टीडीएस क्रेडिट में गड़बड़ी को अब आसानी से सुधार सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अगस्त में नया इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म 71 जारी किया था। अगर, टीडीएस गलत साल में कटा है, तो आप इस फॉर्म के जरिए वर्ष बदलवाकर रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम, 1962 में संशोधन किया गया है। इस फॉर्म के जरिए आप पिछले दो वर्ष की जानकारी ही अपडेट करा सकेंगे।

दो करोड़ रूपये तक का कारोबार करने वालो को होगा फायदा छोटे कारोबारियों को जीएसटी फॉर्म से छूट

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को फॉर्म जीएसटी आर-9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

गौरतलब है कि जीएसटी आर-9 वह रिटर्न फार्म है, जो जीएसटी सिस्टम में पंजीकृत कारोबारियों को हर साल के अंत में भरना पड़ता है। कारोबारी ने अपने सालभर के व्यापार के दौरान जो मासिक या तिमाही रिटर्न (जीएसटी आर-1,2,3,4 और 8) भरे होते हैं, उन सभी जानकारियों का इकट्ठा विवरण इसमें दर्ज करना होता है। कंपोजिशन स्कीम, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी यह रिटर्न भरना अनिवार्य है।

इस फॉर्म के प्रत्येक भाग में भरी गई जानकारियों को पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापन कराना होता था, लेकिन बाद में सरकार ने कारोबारियों को ही खुद सत्यापन करने की छूट दी थी। अब सरकार ने कारोबारियों को इस फॉर्म को भरने से राहत दे दी है।

65% बढ़े जीएसटी दाखिल करने वाले:

देश में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई। वहीं, जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई है, जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।

2017 में लागू हुआ था

एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू किया गया था। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया था। इस साल नवंबर में मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष में यह छठी बार है कि मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।

सरकार सभी व्यवसायों में ई- बिल अनिवार्य करेगी

सरकार दो -तीन वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए 'व्यवसाय से उपभोक्ता ' (बी 2सी) लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों का 'व्यवसाय से व्यवसाय' (बी 2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई- बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य- जीएसटी शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और बी2सी लेनदेन के लिए ई- बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है।

जीएसटी नोटिस पर 31 जनवरी तक अपील

जीएसटी संबंधी अपील दाखिल करने में की गई देरी को लेकर वित्त मंत्रालय विशेष माफी योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत अब 31 जनवरी, 2024 तक अपील दाखिल किया

जा सकेगा। वित्त मंत्रालय की योजना के मुताबिक कैलेंडर वर्ष 2023 के 31 मार्च तक अगर किसी कारोबारी या करयोग्य व्यक्ति को जीएसटी संबंधी मांग को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है और वे तय समय में इस मांग के विरुद्ध अपील नहीं कर पाए हैं तो वे अगले साल 31 जनवरी तक अपील दाखिल कर सकेंगे। योजना के मुताबिक वैसे कारोबारी भी अपील कर सकेंगे, जिनकी अपील समय के बाद दाखिल होने से खारिज हो गई थी। ऐसे करयोग्य कारोबारी या व्यक्ति जीएसटी पोर्टल पर जाकर एपीएल-01 भरकर अपील कर सकते हैं।

जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक इस योजना से सैकड़ों कारोबारियों को राहत मिलेगी। कई कारोबारियों को जीएसटी डिमांड नोटिस का पता ही नहीं चलता है और समय बीत जाने की वजह से वे अपील नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें 100 प्रतिशत का जुर्माना भरना पड़ता है। अपील में जाने पर हो सकता है उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़े या फिर कम जुर्माने के साथ उनका मामला रफा-दफा हो जाए। जानकारों का कहना है कि कारोबारियों को जीएसटी संबंधी डिमांड

नोटिस को लेकर सजग रहना चाहिए और उसके विरुद्ध अपील भी जरूर करनी चाहिए। जीएसटी

प्रणाली की शुरुआत एक जुलाई, 2017 से की गई थी और उसके बाद के वर्षों में जीएसटी विसंगतियों को लेकर इन दिनों सैकड़ों कारोबारियों को डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 65% बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले पांच सालों में जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या में 65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वैसे ही जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या में खासी बढोतरी हुई है। अब यह संख्या 1.40 करोड़ है जबकि अप्रैल, 2018 में यह संख्या 1.06 करोड़ थी। मंत्रालय के मुताबिक जीएसटी नियमों के सरलीकरण से अब अधिकतर कारोबारी समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष में 90 प्रतिशत करदाताओं ने तय समय पर जीएसटीआर-3बी दाखिल किया जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में तय समय पर सिर्फ 68 प्रतिशत करदाता जीएसटीआर-3बी दाखिल करते थे।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

तीन वित्तीय वर्ष के अटके पड़े आयकर रिटर्न होंगे प्रोसेस

तकनीकी खामियों के कारण अगर आपका कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के आयकर रिफंड के लिए अटक गया है तो आपके पास उसे पाने का मौका है। 31 जनवरी 2024 तक इन तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न अब दोबारा प्रोसेस हो सकेंगे और इनके जरिए ही करदाता अपने अटके रिफंड हासिल कर सकेंगे। बोर्ड ने आयकरदाताओं के लिए बड़ी सुविधा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देश के बाद अब बंगलुरु में आयकर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बड़ी संख्या में आयकरदाताओं के कर निर्धारण और आयकर रिटर्न को प्रोसेस करेगा।

करदाताओं के लिए शुरू हुई डिस्कार्ड रिटर्न नाम की सुविधा दाखिल आयकर रिटर्न को ख़ारिज कर सकेंगे

आयकर विभाग करदाताओं की सहूलियत के लिए लगातार नई-नई सुविधाएं ला रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने अब 'डिस्कार्ड रिटर्न नाम की सुविधा शुरू की है। इसके तहत करदाता आयकर रिटर्न को दाखिल करने के बाद भी उसे खारिज कर सकते या वापस ले सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि करदाता ने उसे सत्यापित न किया हो। आईटीआर को वेरिफाई करने से पहले आयकर विभाग के रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है। इसके बाद नई आईटीआर दाखिल की जा सकेगी।

पहले, करदाताओं के पास दाखिल की गई आयकर रिटर्न को वापस लेने की व्यवस्था नहीं थी। आईटीआर में यदि कोई त्रुटि रह जाती थी तो संशोधित रिटर्न दाखिल करनी पड़ी थी। करदाता को फिर से वही लंबी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी।

अभी ऐसी थी प्रक्रिया

संशोधित आईटीआर भरने के लिए पुरानी रिटर्न को सत्यापित करना जरूरी होता था। यानी अगर किसी करदाता ने रिटर्न दाखिल कर दी और बाद में किसी गड़बड़ी का पता चलता था तो

उसे सही करने का तरीका यही था कि पहले वह उसी आईटीआर को सत्यापित करे। उसके बाद संशोधित रिटर्न दाखिल करें। गड़बड़ी वाली आईटीआर के ऐसे मामलों में कई बार विभाग की

तरफ नोटिस भी भेजे जाते हैं। नई व्यवस्था में करदाता को त्रुटि वाली रिटर्न को वापस लेने की अनुमति मिलेगी।

इन शर्तों को पूरा करना होगा

- आयकरदाताओं द्वारा भरा रिटर्न ऑनलाइन या ऑफलाइन सत्यापित नहीं किया हो।
- यह आयकर रिटर्न वित्त वर्ष 2023-24 के बाद का ही भरा होना चाहिए। सिर्फ एक अप्रैल 2023 के बाद के ही रिटर्न को वापस लिया जा सकता है
- पुरानी रिटर्न को डिस्कार्ड करने के बाद अगर नई रिटर्न तय तिथि के बाद भरेंगे तो नियमों के अनुसार जुर्माना लगेगा।

बैंकों के माध्यम से भी जमा होंगे बिजली बिल

बिजली उपभोक्ता बैंकों में भी बिल जमा कर सकेंगे। इसके लिए बैंकों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा सरल, राना पे जैसी कंपनियों के जरिए भी बिल जमा किया जा सकेगा। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल को शक्ति भवन में विभिन्न बैंकों एवं कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी योजना पर रणनीति तैयार की। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और एक्सिस बैंक के प्रतिनिधियों ने बिल जमा करने के लिए काउंटर खोलने पर सहमति दी। जल्द ही इन बैंकों और कारपोरेशन के खाते को तकनीकी रूप से जोड़ दिया जाएगा।

DAS HYUNDAI
At Hyundai, We are going
Beyond Mobility
Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 955790998

बिल्डरों को, अब हर प्रोजेक्ट के लिए तीन खाते खोलना होगा

रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम (रेरा) ने उत्तर प्रदेश में हरेक प्रोजेक्ट के बैंक खाते से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए बिल्डरों को तीन खाते कलेक्शन अकाउंट, सेपरेट अकाउंट और ट्रान्जैक्शन अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया गया है।

नए निर्देशों से ग्राहकों के धन की सुरक्षा होगी और परियोजनाएं समय से पूरी हो सकेंगी। रेरा ने परियोजना के सेपरेट अकाउंट से गारंटीड रिटर्न, ब्याज और अर्थदण्ड का भुगतान करने पर रोक लगा दी है। अब हर परियोजना में आवंटियों से भुगतान लेने के लिए एक 'कलेक्शन अकाउंट' होगा। प्रोमोटर द्वारा परियोजना के विज्ञापनों, आवंटन पत्रों, अनुबन्धों और आवंटियों के साथ पत्राचार में इस अकाउंट को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

प्रोमोटर अपने बैंक को 'स्टैंडिंग निर्देश' देंगे कि 'कलेक्शन अकाउंट' में आवंटियों द्वारा जमा की गयी धनराशि का कम से कम 70 प्रतिशत ऑटो स्वीप के जरिए परियोजना के 'सेपरेट अकाउंट' में ट्रांसफर हो जाए। अधिकतम 30 प्रतिशत धनराशि परियोजना के 'ट्रान्जैक्शन अकाउंट' में ट्रांसफर होगी।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

यह हैं नए निर्देश

- बिल्डर परियोजना के पंजीकरण आवेदन के साथ कलेक्शन एकाउंट, सेपरेट एकाउंट और ट्रान्जैक्शन एकाउंट का ब्योरा रेरा में देगा
- इन खातों के खाताधारक में प्रोमोटर और परियोजना दोनों के नाम होंगे। इनका संचालन प्राधिकृत डायरेक्टर या पार्टनर ही कर सकेगा
- परियोजना के लिए बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ली गई सेक्योर्ड व अन्सेक्योर्ड कर्ज की पूरी धनराशि 'सेपरेट एकाउंट' में जमा करना अनिवार्य होगा
- सेपरेट एकाउण्ट की धनराशि परियोजना की जमीन, परियोजना के निर्माण और विकास कार्यों पर ही खर्च की जा सकेगी

नियमों में ढील देने के मूड में नहीं आरबीआइ

आरबीआइ बैंकिंग से जुड़े नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को तैयार नहीं है। यही कारण है कि आरबीआइ बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों समेत तमाम तरह के वित्तीय संस्थानों पर सख्ती बरत रहा है। एक साथ बैंक आफ बड़ौदा, सिटीबैंक और इंडियन ओवरसीज पर आर्थिक जुर्माना लगाया। मुंबई के एक प्रमुख सहकारी बैंक अभ्युदय सहकारी बैंक के निदेशक बोर्ड को भंग किया। अकेले नवंबर में अभी तक डेढ़ दर्जन से ज्यादा सहकारी बैंकों समेत पीएनबी, बैंक आफ बड़ौदा व फेडरल बैंक जैसे बड़े बैंकों और बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी एनबीएफसी पर कार्रवाई कर चुका है। हालात यह है कि इस महीने चार एनबीएफसी और दो हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां अपना लाइसेंस आरबीआइ को सौंप चुकी हैं। जबकि दो एनबीएफसी के लाइसेंस रद किए जा चुके हैं।

आरबीआइ ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर नियमों के उल्लंघन पर कुल 10.34 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। सिटी बैंक पर जमाकर्ता को शिक्षित करने जागरूकता फंड योजना और वित्तीय सेवाएं की आउटसोर्सिंग से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने पर सबसे ज्यादा पांच करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सेंट्रल रिपॉजिटरी संबंधी दिशा- निर्देशों का पालन नहीं करने पर 4.34 करोड़ का जुर्माना लगा है। इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज और अग्रिम से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले गुजरात के पांच सहकारी बैंकों पर अर्थदंड लगाया गया था। एक साथ छह सहकारी बैंकों पर अर्थदंड लगाया गया था। इसके अलावा कई सहकारी बैंकों पर दूसरे तरह के नियमों के पालन नहीं करने का भी दोषी पाया गया है और उन पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक को भी नियमों का पालन नहीं करने पर 90.92 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके एक दिन पहले बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी एनबीएफसी को उसकी दो सेवाओं इकाम और इंस्टा ईएमआइ कार्ड को बंद करने का आदेश दिया गया था।

असुरक्षित खुदरा लोन को लेकर जो नए नियम बनाए गए हैं, वह भी आरबीआइ के बदले तेवर को दिखाता है। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि जब भारत तेजी से एक विकसित देश बनने की तरफ अग्रसर है, तब देश के बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र के आधारभूत तत्वों को मजबूत बनाने के लिए सख्त माहौल जरुरी है। आरबीआइ इस मंशा से ही ज्यादा सख्ती दिखा रहा है।

सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर ज्यादा सख्ती

आरबीआइ के डाटा से पता चलता है कि सहकारी बैंकों और एनबीएफसी पर ज्यादा सख्ती हो रही है। जानकार बताते है कि इसका मतलब यह है कि इन दोनों वर्ग के बित्तीय संस्थान केंद्रीय बैंक के नियमों के पालन को लेकर अभी तक ज्यादा गंभीर नहीं है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव बैंक से जुड़ा घोटाला सामने आने के बाद सहकारी बैंकों को लेकर आरबीआइ लगातार नियमों को तकरीबन उसी तरह से लागू कर रहा है, जैसे वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है। इन नियमों को पालन करने में इन बैंको को समस्या आ रही है जिसकी वजह से उन पर दंड लगाया जा रहा है या फिर कई मामलों में ये सहकारी बैंक या एनबीएफसी स्वयं ही अपना कारोबार बंद करने का फैसला कर रहे है। आरबीआइ ने दो एनबीएफसी को बंद करने का निर्देश

दिया। इससे साफ़ है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों को प्रणाली से बाहर किया जा रहा है।

लिफ्ट के लिए प्रदेश में लागू होगा कानून: योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापक जनहित का ध्यान रखते हुए बहुमंजिला इमारतों में लगने वाली लिफ्ट या एस्कलेटर की सुरक्षा, संरक्षा सुनिश्चित करने के के लिए कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध ने आवश्यक दिशा -निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के प्रसार से लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक फुटफाल वाले स्थानों पर स्थापित होने वाले लिफ्ट और एस्कलेटर के बारे में इनकी बनावट, स्थापना, संचालन और रख-रखाव ठीक ढंग से न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं।

सीएम ने कहा कि लिफ्ट और एस्कलेटर का उपयोग सामान्य व्यक्तियों के साथ-साथ बुजुर्गों, बच्चों , बीमार व्यक्तियों तथा दिव्यांगजनों द्वारा किया जाता है। इनकी सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से लिफ्ट और एस्कलेटर के निर्माण, गुणवत्ता ,अन्तर्निहित सुरक्षा सुविधाओं, स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए निर्धारित और प्रक्रियाओं का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में इस बारे में प्रदेश में कोई अधिनियम नहीं लागू है। जबकि देश के अन्य प्रान्तों में लिफ्ट अधिनियम लागू है। इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना आवश्यक है।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

लिफ्ट के यात्रियों के लिए हो बीमा की व्यवस्था: लिफ्ट में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो रेस्क्यू डिवाइस का लगाया जाना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि बिजली आपूर्ति में या अन्य किसी खराबी की स्थिति में लिफ्ट के अन्दर फंसे यात्री निकटतम लैंडिंग तक पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा स्वतः खुल जाए। आपातकालीन घंटी , सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त रोशनी और लिफ्ट के बाहर संवाद करने हेतु संचार प्रणाली भी स्थापित करना अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट और एस्कलेटर के संचालन के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था हो।

लिफ्ट-एस्कलेटर लगाने को कराना होगा पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नये लिफ्ट और एस्कलेटर की स्थापना करने वाले प्रत्येक स्वामी को चाहे वह निजी परिसर हो या सार्वजनिक परिसर हो, पंजीयन कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। पूर्व से स्थापित तथा संचालित लिफ्ट और एस्कलेटर के लिए भी यह अनिवार्य किया जाए। लिफ्ट और एस्कलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन अनिवार्य करें। इनकी स्थापना में सुसंगत बिल्डिंग कोड तथा अन्य आवश्यक कोड का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

मेरठ समेत 11 जिलों में मिलेंगे डाकघरों से ई स्टांप

गिफ्ट डीड के बाद आम लोगों की सुविधा के लिए स्टांप एवं पंजीयन विभाग ने एक नई पहल और की है। पहली बार पोस्ट ऑफिस से भी ई-स्टांप देने का रास्ता खोल दिया है। इस महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत एक जनवरी को गाज़ियाबाद समेत 11 जिलों से होगी। इससे स्टांप की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगेगा। ये जानकारी स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने दी।

ई-गर्वनेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के 11 बड़े जिलों को नए साल का तोहफा मिलेगा। इसे लेकर डाक विभाग और स्टाक होल्डिंग कॉरपोरेशन के बीच चीफ पोस्टमास्टर जनरल बी. सेल्वाकुमार और स्टांप व पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल की मौजूदगी में समझौता हुआ। इस बारे में पंजीयन मंत्री ने बताया कि वेंडरों के जरिये ई-स्टांप की बिक्री ज्यादा कीमत लेकर की जा रही है।

वेंडरों को सौ रुपये के स्टांप पर 23 पैसा कमीशन मिलता है, लेकिन दस रुपये का स्टांप भी 15 रुपये का बेचा जाता है। साथ ही स्टांप लेने के लिए लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस से स्टांप बिक्री से गांव- गांव में आसानी से स्टांप उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत 11 जिलों के डाकघरों से की गई है, जिसे जल्द पूरे प्रदेश के सभी डाकघरों में लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पहले स्टांप को विभाग ही छपवाता था और कमीशन पर देता था। इस पर विभाग के 1900 करोड़ रुपये खर्च होते थे। ई-स्टांप लागू होने के बाद ये पैसा सरकार का बच रहा है। ई-स्टांप की जिम्मेदारी स्टाक होल्डिंग कॉरपोरेशन को दी गई है।

पहले 11 जिलों से शुरुआत, फिर पूरे प्रदेश लागू

सहारनपुर प्रधान डाकघर, बिजनौर प्रधान डाकघर, मेरठ कचहरी उप डाकघर, लखनऊ जीपीओ, कानपुर प्रधान डाकघर, कलेक्ट्रेट उप डाकघर आगरा, प्रयागराज कचहरी प्रधान डाकघर, वाराणसी कचहरी उप डाकघर, गोरखपुर कचहरी उप डाकघर, सेक्टर 34 गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद प्रधान डाकघर।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

उधमियों को जेल भेजने वाले 577 नियम ख़त्म, पेनाल्टी में तब्दील

इन नियमों के तहत उधमी को छह महीने से एक साल तक जेल का था प्रावधान

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत 577 नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब तक इन नियमों के तहत उद्यमी को छह महीने से एक साल तक जेल का प्रावधान था जिसे खत्म कर पेनाल्टी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा 2978 नियमों को डिजिटल भी किया गया है। इससे उद्यमियों की दफ्तरों तक भागदौड़ बचेगी और उत्पीड़न से बचेंगे। औद्योगिक विकास विभाग ने शासन द्वारा कारोबारी राहत से जुड़ी प्रगति के जवाब में रिपोर्ट भेजी है।

लंब समय से कारोबारी संगठन बेवजह मुसीबत बने नियमों को खत्म करने या सरल करने की मांग कर रहे थे। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई, कंप्लायंस खत्म करने की प्रक्रिया शुरु हो गई थी। राज्य सरकार भी पिछले कई वर्ष से इस दिशा में काम कर रही थी। प्रत्येक विभाग से अनुपयुक्त नियम और नियामक अनुपालन (कम्प्लांयस) की सूची मांगी गई थी। करीब 22 विभागों ने शासन को ऐसे नियमों और अनुपालनों का ब्योरा भेजा। जिन पर अध्ययन करने के बाद 4504 अनुपालनों को कम कर दिया गया। इसके तहत 2978 अनुपालनों को सरल व डिजिटल कर दिया गया है। इनमें से 1528 नियम सरकार और कारोबारियों (जीटूबी) से संबंधित हैं। 1450 नियम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने वाले हैं।

इन विभागों में जेल का खौफ सबसे ज्यादा

उद्यमी को अपराधी बनाने वाले ये नियम सबसे ज्यादा अग्निशमन विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग के थे। अब ऐसे कानूनों की कंपाउंडिंग कर दी गई है। यानी उन्हें अपराध के स्थान पर आर्थिक दंड में बदल दिया गया है।

- इसी तरह उप्र. औद्योगिक अशांति अधिनियम (मजदूरी का समय पर भुगतान) 1978 के अंतर्गत जेल भेजने के प्रावधान को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

450 से ज्यादा पत्र औधोगिक संगठनों ने दिए थे

- अकेले 450 से ज्यादा पत्र इसी कानून को खत्म करने के लिए औद्योगिक संगठनों ने दिए थे। कारोबारियों की दलील थी कि केवल एक शिकायत पर विभाग और पुलिस उद्यमी पर केस दर्ज कर लेता है। जेल भेजने का खौफ दिखाकर पुलिस उत्पीड़न करती थी। अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

उद्योगों की रफ़्तार में स्पीड ब्रेकर थे नियम

उल्लेखनीय है कि ऐसे हजारों नियम उद्योगों की रफ्तार में 'स्पीड ब्रेकर' का काम रहे थे। इन अनुपालनों के कारण उद्योगों से जुड़ी एक फाइल फाइनल होने का औसत समय 6 से 24 महीने तक था। इन नियमों के खात्मे के बाद ये समय घटकर 72 घंटे से 300 घंटे पर आ गया है।

इनसे विभागों से खत्म हुए नियम

कृषि, बेसिक शिक्षा, वाणिज्य कर, सहकारी, धर्मार्थ कार्य, ऊर्जा, आबकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उच्च शिक्षा, गृह विभाग, आवास, सिंचाई एवं जल संसाधन, न्याय, विधिक माप विज्ञान, पंचायती राज, राजस्व, चीनी उद्योग, गन्ना विकास, प्राविधिक शिक्षा, परिवहन और नगर विकास।

VK TYRE INDIA LIMITED

Manufacturers & Exporters of:

Automobile & Agriculture Tyres

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206

Mob. No.: 9568129777, 7900200100

Email: info@vktyre.com

Website: www.vktyre.com

अग्निशमन से जुड़ी लापरवाही पर लग सकेगा 20 हजार तक जुर्माना

राज्य सरकार आग लगने की घटनाओं में बड़ी संख्या में होने वाली जन-धन हानि को कम करने के लिए अग्निशमन से जुड़ी व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अग्निशमन से जुड़ी लापरवाही पर एक हजार से 20 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है। इसी तरह तय कमरों की संख्या, क्षेत्रफल, ऊंचाई, आवासीय व कॉमर्शियल भवनों के स्वामियों को अग्निसुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

सरकार ने यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 को लागू करने की अधिसूचना पिछले साल दिसंबर में जारी की थी। अधिनियम को लागू करने के लिए शासन यूपी अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2023 तैयार कर रहा है। इसमें अग्निशमन अधिकारियों को प्रबंधन सहित कई तरह के अधिकार दिए जा रहे हैं, जिसमें जुर्माना लगाने का भी अधिकार है। अब तक विभाग को अग्निशमन से जुड़ी लापरवाही या अनियमितता में संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए लिखना पड़ता है। कुछ मामलों में कमियों को पूरा करने का नोटिस जारी करने के बाद न्यायिक वाद दाखिल करना पड़ रहा है। लेकिन, ये उपाय कारगर नहीं हैं। सरकार अग्नि रोकथाम तथा जीवन सुरक्षा निधि व अग्निशमन कर, फीस आदि तय करने पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित नियमावली तैयार करने से पहले दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन भी किया गया।
प्रस्तावित नियमावली के मसौदे पर न्याय, वित्त, कार्मिक, राजस्व, नगर विकास, पर्यटन, आवास एवं शहरी नियोजन, औद्योगिक विकास व राज्यकर जैसे विभागों से परामर्श लेने की कार्यवाही चल रही है। विभागों के सुझावों को शामिल कर नियमावली को जल्द कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

अग्निशमन व्यवस्था में सुधार के लिए अन्य मुख्य प्रस्ताव

- प्रदेश में फायर स्टेशन को ग्रामीण, नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रीय फायर स्टेशन के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।
- आग के खतरे व फायर स्टेशन की संख्या के आधार पर मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर जैसे आठ परिक्षेत्रों में बांटा गया है।
- अग्नि के खतरों तथा फायर स्टेशनों की संख्या के आधार पर वर्ग क व वर्ग ख के रूप में राजस्व जिले का बंटवारा।
- अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान।

इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए सदस्यों के पास डी- रेमिट आईडी होना जरुरी

एनपीएस में क्यूआर कोड से भुगतान सुविधा शुरू

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सदस्य अब क्यूआर कोड से भी खाते में निवेश कर सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने छह दिसंबर से यह सुविधा शुरू कर दी है। डी -रेमिट वर्चुअल आईडी के तहत यह सुविधा मिलेगी। इससे भुगतान तेज होगा और एक दिन में निवेश की राशि खाते में दर्ज होगी।

हर डी-रेमिट आईडी के लिए अलग क्यूआर कोड है। इसके के लिए सदस्यों के पास डी-रेमिट आईडी होनी जरूरी है। इसमें सदस्यों को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर जाए बिना एनपीएस खाते (टियर I और II) में सीधे बैंक खाते से राशि जमा करने की मंजूरी होगी।

समय का ध्यान रखें: क्यूआर कोड या अन्य माध्यमों के जरिए किए योगदान का समय महत्वपूर्ण है। सुबह 9:30 बजे के पहले हुए भुगतान को ही उस दिन का निवेश माना जाएगा। ग्राहक को उस दिन निवेश का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) मिलेगा। इसके बाद गणना अगले दिन में की जाएगी।

भुगतान के यह भी विकल्प: इससे पहले एनपीएस में योगदान इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई के जरिए होता है। पिछले साल यूपीआई सुविधा शुरू हुई थी।

क्या है डी -रेमिट सुविधा: साल 2020 में पेंशन फंड नियामक ने डी -रेमिट सुविधा शुरू की थी। सदस्यों को डी -रेमिट वर्चुअल आईडी बनानी पड़ती है, जो एनपीएस के स्थायी खाता संख्या से लिंक होती है। सदस्य बैंक खातों से सीधे एनसीएस खातों (टियर-1 और टियर-2) में राशि हस्तांतरित कर सकते हैं। डी -रेमिट में न्यूनतम 500 रुपये का भुगतान कर सकते हैं।

वर्चुअल आईडी ऐसे बनाएं

1. वेबसाइट(https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) पर जाकर नेशनल पेंशन सिस्टम विकल्प पर क्लिक करें।
2. अब D-Remit VID जनरेशन विकल्प का चयन कर लें। इसके के बाद निर्देशों को पढ़ें और पीआरएएन नंबर, जन्म तिथि, ओटीपी रिसीव करने का जरिया और कैप्चा डालकर पंजीकरण कर लें।
3. इसके बाद वेरिफाई पीआरएएन पर क्लिक करें। तब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करें।
4. सदस्य को वर्चुअल अकाउंट रजिस्ट्रेशन का प्रकार चुनना होगा। विकल्प में टियर-1 और टियर-2 होंगे। इसके बाद जनरेट वर्चुअल अकाउंट पर क्लिक करें।
5. सदस्य को पंजीकरण संख्या मिलेगी। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा सत्यापन बाद वर्चुअल आईडी बनेगी। इसमें एक-दो दिन लगता है, जिसकी सूचना ई-मेल सदस्य को दी जाएगी।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

कयूआर कोड के जरिए योगदान कैसे करें

सीएएमएस सीआरए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया:

- चरण 1: ग्राहक एनपीएस खाते में लॉग इन कर योगदान पर क्लिक करें।
- चरण 2: फिर वर्चुअल खाते की स्थिति चुनें। इसके बाद क्यूआर कोड दिखाई देगा।
- चरण 3: भुगतान करने को यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

केफिन-सीआरए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया

- चरण 1: एनपीएस ग्राहक ईएनपीएस लॉगिन पेज पर जाएं।
- चरण 2: लेन-देन मेन्यू में अनुवर्ती योगदान पर क्लिक करें।
- चरण 3: भुगतान मोड को यूपीआई के रूप में चुनने पर खाता प्रकार के अनुसार क्यूआर कोड दिखेगा।
- चरण 4: कोई भी भुगतान करने के लिए यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

ऐसे लाभ उठा सकेंगे

सदस्य को नेट बैंकिंग एनपीएस संख्या और आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड से जोड़ना है। भुगतान को मासिक, त्रैमासिक, छमाही या सालाना आधार पर निर्धारित करें। तय तिथि पर भुगतान करना होगा।

अवैध निर्माण रोकने की नई तकनीक शुरू

अब शहर में अवैध लैंड यूज डिटेक्शन नोटिफिकेशन सिस्टम होगा लागू

मेरठ में अवैध निर्माण रोकने के लिए अब नए सिरे से की जाएगी शुरुआत। इसमें अवैध भूमि उपयोग को रोकने के लिए अवैध लैंड यूज डिटेक्शन नोटिफिकेशन सिस्टम (आईएलडीएनएस)

विकसित किया जाएगा। मेडा की इस जरूरत को पूरा करने के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

यूपीएलसी ने आईएलडीएनएस के विकास के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) माध्यम से सॉफ्टवेयर कंपनियों को आमंत्रित करते हुए आवेदन मांगा है। इस पहल से मेडा में पार्दर्शिता को बढ़ावा मिलेगा व इससे पूर्ण डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। विशेष बात है कि अधिसूचना प्रणाली के विकास के साथ ही अन्य विभिन्न मॉड्यूल्स के विकास, क्रियान्वयन और रखरखाव का मार्ग शुरू होगा। इससे अधिसूचना प्रणाली के साथ ही विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने व वर्कफ़्लो मैनेजमेंट में भी मदद मिलेगी।

इस परियोजना के जरिए सभी वर्कफ्लो के लिए डिजिटल समाधान/ मॉड्यूल और प्रशासन और सार्वजनिक इंटरफेस के लिए एक एकीकृत पोर्टल प्रदान करेगा। सभी एक्सेस नियंत्रण भूमिका आधारित होंगे जिन्हें इस सुइट में सभी एप्लिकेशन के लिए केंद्रीय रूप से बनाया/निरस्त किया जा सकेगा। यह एकीकृत समाधान वेब ब्राउजर के माध्यम से सुलभ होगा।

इस नए नोटिफिकेशन सिस्टम के निर्माण के जरिए कुल 13 प्रकार के कार्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसमें यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन-ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉटरी ड्रॉ व ई-ऑक्शन, डिपॉजिट अमाउंट चेकलिस्ट जेनरेशन, प्रॉपर्टी कैल्कुलेशन शीट जेनरेशन, डिफॉल्टर्स नोटिस व लिस्ट जेनरेशन जैसे कार्यों को सुलभता से पूर्ण करने में मदद मिलेगी। मेड उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि अब नए सिरे से अवैध निर्माण को रोकने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है।

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

ई-श्रम कार्ड धारक पा सकेंगे पेंशन योजना का लाभ

उप श्रम आयुक्त मेरठ क्षेत्र, मेरठ राजीव कुमार सिंह ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से असंगठित कर्मकारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल विकसित किया गया है। जिसमें जनपद मेरठ में 11 लाख 43 हजार 523 कामगारों द्वारा अपना पंजीयन कराया गया है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मगारों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है। साथ ही विभाग के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व अन्य योजनाओं का एकीकरण कर पंजीकृत कामगारों को हितलाभ प्रदान कराया जाना है। इसी क्रम में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन योजना के रूप में संचालित की जा रही है। जिसमें 18 से 40 आयु वर्ग के ऐसे कामगार जोकि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हों, और जिनकी मासिक आय 15000/- रूपये से अधिक न हो, अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से पेंशन योजना के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। इस योजना में सम्मिलित होकर 60 वर्ष की आयु के उपरांत प्रतिमाह धनराशि 3000 रूपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। योजना में नामांकन कराने वाले कर्मकार को प्रतिमाह उनकी आयु के अनुसार प्रीमियम की धनराशि भी जमा करनी होगी। जिसके सापेक्ष उतनी धनराशि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जमा कराई जायेगी। नामांकन के उपरांत सम्बन्धित कर्मकार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड प्राप्त होगा, जोकि 60 वर्ष की आयु के उपरांत उनके व परिवार के लिए पेंशन प्राप्त करने का एक आधार भी होगा। जनपद मेरठ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कुल 11201 कामगारों का पेंशन योजना में नामांकन- पंजीयन कराया जा चुका है।

सुविधा: इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेंगे 41,575 फ्लैट, विकसित होगा फ्लैटेड फैक्टरी का कल्चर

मेडा परतापुर- भूड़बराल में प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप कई मायनों में खास होगी। मेरठ विकास प्राधिकरण की इस बहुप्रतीक्षित टाउनशिप में फ्लैटेड फैक्टरी कल्चर भी विकसित होगा। अभी तक कारखाने और फैक्ट्रियां भूखंड में ही बनती है, लेकिन न्यू टाउनशिप में स्टील

स्ट्रक्चर के तहत फैक्ट्रियां वर्टिकल बनाई जाएंगी। इसमें अलग से औधोगिक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें कई तल पर फैक्टरी संचालित हो सकेंगी।

एनसीआर की आठ फीसदी आवासीय और व्यावसायिक जरूरतों को यह पूरा करेगी। इसमें 1.85 लाख लोगों के लिए 41,575 आवास इसमें बनेंगे। मेडा पहले फेज के अंतर्गत 142 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेगा। इसमें 100 हेक्टेयर आवासीय होगा, वहीं 27 हेक्टेयर को व्यावसायिक उपयोग और 20 हेक्टेयर को आईटी के लिए आरक्षित किया गया है। आरआरटीएस स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेसवे, मोहिउद्दीनपुर स्टेशन की दूरी यहां से महज डेढ़ किलोमीटर रहेगी। सिटी स्टेशन से 10 और परतापुर से चार किलोमीटर की दूरी रहेगी। ऐसे में यहां तैयार सामान को बाजार भी सुलभता से मिलेगा। आने वाले समय में रैपिड का विस्तार भी होगा। दिल्ली व जेवर से कनेक्टिविटी के चलते दुनियाभर में सामान निर्यात किया जा सकेगा।

मेरठ महायोजना 2031 में रैपिड कॉरिडोर के तहत वेल्यू कैप्चर कॉस्ट (वीसीसी) के तहत इसे मिश्रित भू- उपयोग में रखा गया है, ताकि रैपिड के संचालन में वित्तीय फंड जुटाया जा सके। सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सीएलपी) को भी इसमें शामिल किया गया है।

- उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि कमिश्नर के साथ हाल ही में बैठक के बाद अब इसे शार्ट टर्म तैयार किया जा रहा है। इसमें बैंडबाजा व खेल उद्योग के साथ ही निर्माण इकाइयां और लघु उद्योग को बढ़ाने की रुपरेखा तैयार की गई है। इंडस्ट्री में होने वाला 30 हजार 205 टन का उत्पादन 2042 में बढ़कर 64 हजार 111 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मेडा उपाध्यक्ष ने बताया कि महायोजना- 2031 के तहत औधोगिक क्षेत्र में 75 फीसदी, व्यवसायिक क्षेत्र में 96 फीसदी और आवासीय क्षेत्र में 50 फीसदी का इजाफा किया गया है।
- उपाध्यक्ष ने बताया कि सिटी डेवलपमेंट प्लान (सीडीपी) के मुताबिक, अभी शहर में स्पोर्ट्स गुड्स, जेम्स एंड ज्वैलरी, मिनरल, शुगर इंडस्ट्री, मेटल इंजीनियरिंग, एग्रो बेस्ड यूनिट्स, लेदर, इलेक्ट्रिक व परिवहन, कॉटन टैक्सटाइल आदि की 35,200 यूनिट हैं, जिनसे 3 लाख 15 हजार 776 लोगों को रोजगार मिल रहा है। माना जा रहा है कि 2042 में आठ लाख के करीब रोजगार का सृजन इन यूनिट के जरिए होगा। अभी रोजाना फ्रेट

व्हीकल ट्रिप्स एक लाख 29 हजार 233 है जो 2042 में बढ़कर 2 लाख 32 हजार 111 होने का अनुमान है। अफसरों के मुताबिक, न्यू टाउनशिप में कई तल पर फैक्टरी संचालित की जा सकेंगी। इसके लिए अलग से प्लानिंग की गई है।

- प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप में व्यावसायिक गतिविधियों को मिलेगी रफ़्तार
- किसानों से समझौते के आधार पर मेडा लेगा जमीन, 15 से रजिस्ट्री शुरू करने की तैयारी
- कई तल पर संचालित होंगी फैक्टरी, न्यू टाउनशिप में अलग से बनाया जाएगा ब्लॉक

The ministry has also made its ZED scheme, which aims to promote manufacturing without any negative impact on the environment, completely free for women-led MSMEs.

MSME Minister Narayan Rane on Wednesday launched three sub-schemes under the ministry's existing RAMP ((Raising and Accelerating MSME Productivity) programme to encourage the adoption of sustainable technology in business, boost the circular economy and address delayed payments issue.

The MSME Green Investment and Financing for Transformation Scheme (MSE GIFT Scheme) will help enterprises adopt green technology with interest subvention and credit guarantee support while the MSE Scheme for Promotion and Investment in Circular Economy (MSE SPICE Scheme) is the first-ever scheme in the government to support circular economy projects which will be done through credit subsidy and support MSME sector towards zero emissions by 2070, the ministry said in a statement.

The third scheme MSE Scheme on Online Dispute Resolution for Delayed Payments, said ministry, is a first-of-its-kind scheme to synergise legal support with modern IT tools and artificial intelligence in order to address the issue of delayed payments for micro and small enterprises.

The key objectives of RAMP are to accelerate centre-state collaboration in MSME promotion and development, enhance the effectiveness of existing schemes of the MSME Ministry for technology upgradation, strengthen the receivable financing market for MSMEs, enhance the effectiveness of CGTMSE, promote guarantee for greening initiatives of MSEs and women-owned MSEs, and reduce cases of delayed payments to MSEs.

The ministry said it is also launching new initiatives under its existing schemes for MSMEs. For instance, Support for the Commercialisation of the IP Programme (MSME – SCIP Programme) for MSME innovators to commercialize their intellectual property rights.

Moreover, the ZED scheme of the ministry, which aims to promote manufacturing without any negative impact on the environment, has now been made completely free for women-led MSMEs. In addition, the government will guarantee payment of 100 per cent financial support for the certification cost under the scheme.

The schemes were launched during the 2nd meeting of the National MSME Council chaired by Rane. The minister asked all states and union territories to work towards the promotion and development of the MSME sector.

UP to get 57 new cyber police stations

Lucknow, Dec 15 (IANS): The Uttar Pradesh government will set up 57 new dedicated cyber police stations to deal with rising cases of cybercrime.

With this, the state will now have a total of 75 cyber police stations -- one in each district.

This expansion, initiated in view of Chief Minister Yogi Adityanath's directives in August, will strengthen the state's cyber security infrastructure and bring specialized response closer to local communities, a home department spokesperson said.

Previously, cybercrime police stations operated only at the regional level, and district-level cyber cells remained limited in scope.

Recognizing the evolving nature of online threats, Yogi Adityanath emphasized the need for wider coverage and expertise, the spokesperson said.

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

Cybercrime has diversified, now encompassing customer care scams, pension fraud, utility bill manipulation, work-from-home schemes, sextortion, loan app traps, parcel scams, franchisee manipulation, fake betting apps, crypto fraud, and Ponzi schemes.

These directly impact ordinary citizens, necessitating a vigilant and proactive response, said DG, Cybercell, Subhash Chandra.

The newly established stations will initially operate within police lines and existing police stations before transitioning to dedicated facilities. Trained personnel are already in place, with DG Chandra confirming that around 10,000 cops have received cybercrime training.

This expansion marks a significant commitment to combating cybercrime in Uttar Pradesh, bringing specialized resources and swift response closer to citizens across the state.

RoDTEP benefits to be extended to e-commerce exports: Piyush Goyal

The government on Thursday announced that the benefits of its flagship tax remission scheme for exporters — Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) — will be made available to e-commerce exports.

“The notification for it would be issued in a week’s time and it will benefit $1-2 billion of exports through courier or e-commerce route,” minister of commerce and industry Piyush Goyal said.

E-commerce is the emerging route for exports and worldwide it is expected to touch $2 trillion by 2030. China has been the biggest beneficiary of this trend and its exports through e-commerce are expected to be $300-350 billion.

The RoDTEP scheme operates under a budgetary framework and for FY23-24, a budget of Rupees 15,070 crore is available for it. Till December, Rupees 12,000 crore of the allocation for the year has been spent.

In FY23, the RoDTEP supported $450 billion worth of exports at the cost of Rupees 13,020 crore. While in 2021-22, the scheme aided $421 billion of exports and cost Rupees 12,100 crore.

The rate of tax refund under the scheme ranges from 0.5% to 4.3% of the value of the product. It covers business to business exports of 10,610 products. Same products exported through e-commerce or courier will get the RoDTEP benefit.

India is aiming for $200 billion exports through e-commerce by 2030 when total merchandise exports would touch $1 trillion. In the Foreign Trade Policy of 2023, a lot of emphasis has been placed on e-commerce exports. The limit per consignment of goods through e-commerce has been raised to Rupees 10 lakh from Rupees 5 lakh.

“The Department of Revenue is saying that depending on the outcome we can make it unlimited,” director general of foreign trade, Santosh Kumar Sarangi, said. He said that the mindsets have to change for facilitating e-commerce exports and inter-ministerial group of department of revenue, ministry of micro, small and medium enterprises, department of posts, department for promotion of industry and internal trade (DPIIT) and Reserve Bank of India is working to facilitate e-commerce and lot of changes have been brought in the last two months.

From the Reserve Bank of India, changes in rules for remittance of export proceeds has to be made for the e-commerce sector. In normal business to business exports, RBI gives 270 days for remittance of foreign exchange but e-commerce works in a different framework. In direct exports to consumers through e-commerce, payments can come within time but in other models, products may get sold over a longer period after being put in a warehouse outside India.

“Consignment which is leaving the territory and staying in a warehouse outside for a longer period would require a longer timeframe for realisation. So, in that context for models in which warehousing has been done we are talking to RBI for a more flexible timeframe for foreign exchange realisation,” Sarangi said.

To service the hinterland, the department of posts has created 1,000 Dak Ghar Niryat Kendra or Export Post Office and linked them to their 28 international post offices to enable exports through postal courier from all parts of the country.

For capacity building for e-commerce exports in 16 districts, the Directorate General of Foreign Trade signed an Memorandum of Understanding (MoU) with Shiprocket on Thursday. A similar agreement was signed with Amazon for 20 districts earlier. The talks are also on with other Indian and multinational e-commerce players like Walmart, e–bay, Shop Clues for similar capacity building programmes.

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

All payments via e-commerce operator subject to 1% TDS: CBDT

In a notification issued on 28-12-2023, the CBDT clarified how the TDS will apply in a multiple ECO framework, such as the Open Network for Digital Commerce (ONDC).

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has clarified that any payment made by the buyer or seller in a transaction facilitated by the e-commerce operator (ECO), shall be included in the gross amount of sales of goods or services for the purpose of 1% Tax Deduction at Source (TDS).

In Budget FY20, the TDS provision was brought in, making it mandatory for e-commerce operator (buyer) to deduct tax on payments made to the e-commerce seller on gross sales exceeding Rs 5,00,000 in a financial year. The relevant Section 194-O came into effect on October 1, 2020.

Explaining through FAQ (frequently asked questions), the CBDT notification says that in a situation where multiple ECOs are involved in a single transaction through, say, ONDC, where the seller side-ECO is not the actual seller of goods and services, the tax shall be deducted on the gross amount by the seller-side at the time of credit to the account of the seller.

Seller ECO would file the TDS return in Form 26Q and issue certificate to seller under Form 16A, the notification said.

While, in a situation where the seller-side ECO is the actual seller of goods and services, the TDS to be deduced on the gross amount shall be done by the ECO-2 – which finally makes the payment to seller for the sale of goods and services, the notification clarified.

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX